

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन- भोपाल-462004

क्रमांक / 91/2/2018

भोपाल, दिनांक: 24/3/18

प्रति,


- 1- समस्त संभागायुक्त  
मध्यप्रदेश,
- 2- समस्त कलेक्टर्स,  
मध्यप्रदेश,
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत समस्त

विषय:- चना, मसूर, एवं सरसों के भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर दर्ज समस्त पंजीयन के रूप में मान्य किये जाने तथा पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जाने विषयक ।

—00—

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रबी 2017-18 की चना, मसूर, एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कराई जावें। प्रदेश की 257 कृषि उपज मण्डियों को प्राइज सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत उक्त कृषि जिन्सों के लिये खरीदी केन्द्र (Procurement center) घोषित किया जाता है। उक्त केन्द्रों पर नार्फेड के मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य 10 अप्रैल से 31 मई 2018 तक किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भावांतर भुगतान योजना के उक्त तीन फसलों के समस्त पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रयोजन के लिये पंजीयन मान्य किये जावें। साथ ही 3500 पेक्स तथा 257 कृषि उपज मण्डियों में चना, मसूर तथा सरसों के पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2018 को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 नियत की जाती है।

कृपया उक्त निर्देशों का प्राथमिकता पर पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

24/3/18  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक / 21/2/2018  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक: 24/3/18

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
7. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर प्राप्त आवेदनों के पंजीयन की सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।
14. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
15. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
16. कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
17. आयुक्त, पंचायतीराज म0प्र0, भोपाल।
18. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
19. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
20. आयुक्त (संस्थागत वित्त) म.प्र. भोपाल।
21. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
22. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।
28. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
29. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
30. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र-एन.आई.सी.), भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित।
31. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
32. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
33. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

  
24/3/18